

विविध वाद संख्या - 05/2024-25

कार्यालय :- अचल अधिकारी, लावालोंग (चतरा)

रमेश राम पिता - जानकी राम पासवान, ग्राम - आरामपुर

बनाम

प्रथम पक्ष

1. विष्णु प्रसाद पिता - स्व० लोकनाथ साहू, 2. धर्मेश प्रसाद

3. प्रमोद प्रसाद दोनों अदेश पिता विष्णुनाथ साहू

4. विष्णुनाथ साहू - पिता - गन्तौरी साहू, ग्राम आरामपुर

RCMS3A OFF
25097 648

4/09/2025

श्री रमेश राम, पिता स्व० जानकी राम पासवान, स्थाफिन - आरामपुर ने आवेदन पत्र देकर खाना नं० - 38

प्लॉट नं० - 442 एवं 386 कुल रकबा - क्रमशः

1.15 एवं 0.25 डी० कुल 1.40 डी० भूमि पर

डिलीम पक्ष के द्वारा ठुकर भूमि से संबंधित काम कि
दिमें जाने के कारण सुरक्षा प्रदान हेतु आवेदन पत्र
दिना गथा है।

अतः विपक्षी को नोटिस निर्गत करें कि
वे अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

अभिलेख दिनांक 25/02/2025 को उपस्थिति
करें।

अचल अधिकारी

लावालोंग

04/2025

अभिलेख उपस्थिति।

डिलीम डिलीम पक्ष द्वारा लिखित पक्ष पोस्टल
डाफ के द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसका अवलोकन कि
गथा। अतः ठुकर भूमि से संबंधित स्वामित्व के संबंध
में मूल कागजातों के साथ उपस्थित होने हेतु
नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक - 29/04/2025 को उपस्थिति
करें।

अचल अधिकारी

लावालोंग

तमिल देव गोरख प्रसाद
अचल अधिकारी

29.4.25 21:00:00 21:00:00 21:00:00

42-का विहित पक्ष उपस्थित

अंतिम मौका देते हुए दोनों पक्षों को दिनांक 16/05/24 को जमीन से संबंधित दस्तावेज मूल प्रति के साथ सशरीर उपस्थित होंगे। दोनों पक्षों का notice निर्गत किया जाय।

29/04/25

2nd Edition

1896

1731 h

V3

valley

16/05/14- उमय पक्ष उपाधित / दोनो पक्षों को सुना गया एवं प्रथम पक्ष के द्वारा बतलाया गया की पूर्व में अंचल कार्यालय के द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 06/04/14 एवं 06/05/14 के द्वारा भी प्रथम पक्ष के पक्ष में दिनांक 29/01/2011 को फैसला दिया गया / वही द्वितीय पक्ष के द्वारा फैसले को अपार समाहर्ता के न्यायालय में चुनौती दी गई जिससे द्वितीय पक्ष के तरफ दिनांक 12/11/2011 को फैसला दिया गया / इसके उपरान्त प्रथम पक्ष ने आयुक्त (उ. होरागापुर प्रमोद, हजारीबाग) के न्यायालय में फैसले को चुनौती दी / जिसके बाद से 25/10/18 के आदेशानुसार अपार समाहर्ता के आदेश को निरस्त कर दिया गया एवं दिनांक 13/06/19 को प्रथम पक्ष के लि में फैसला दिया / उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 19/11/19 को W.P(C) No:- 7261/2019 को खारिज कर दिया एवं चुनौती दी गई, जिस मामले में दिनांक 30/11/12 को उक्त रिट पाचिका निरस्त कर दी गई / पुनः द्वितीय पक्ष का कहना है कि

विश्वनाथ साहू द्वारा माननीय जज उच्च न्यायालय में सिविल रिट सं. 7261/19 के आलेख में CMP no. 1109/12 दायित्व दिया गया है। जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। अतएव जब तक उक्त वाद में किसी प्रकार का stay order प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वर के आदेशानुसार प्रथम पक्ष रमेश राम के पक्ष में फैसला दिया जाता है। ~~द्वितीय पक्ष को~~ ~~जो~~ ~~उक्त~~ ~~आदेश~~ ~~पक्ष~~ ~~समक्ष~~ न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।


लेखापति एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
लाहौर


संचल अधिकारी
लाहौर